रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3046] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940
No. 3046] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

का. आ. 3839(अ).— जबकि, केंद्रीय सरकार, उसके समक्ष फाइल किए गए आवेदनों के आधार पर संतुष्ट है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मैसर्स स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसिंग कंपनी ऑफ तमिलनाडु लि. (सेस्कॉट), जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित तमिलनाडु सरकार की कंपनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय थिरु-वि-का इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई-32 (जिसे इसके पश्चात् 'अंतरितक कंपनी कहा गया) स्थित है, का मैसर्स तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड (तांसी), जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित तमिलनाडु सरकार की कंपनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ए-28, थिरु-वी-का इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई-600032 (जिसे इसके पश्चात् अंतरिती कंपनी कहा जाएगा) स्थित है, के साथ समामेलन कर उसे एकल कंपनी बना दिया जाए क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही प्रबंधन के अधीन हैं और उनके उद्देश्य और अधिदेश एक समान हैं, और इस समामेलन से कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में समय और लागत की बचत होगी।

और जबकि, अंतरितक कंपनी जिसे पूर्व में तमिलनाडु मोप्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने अपना नाम परिवर्तित कर स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसिंग कंपनी ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सेस्कॉट) रख लिया है और हल्के इंजीनियरिंग ढांचों का निर्माण, मरम्मत और अन्य संबद्ध कार्यों की शुरूआत कर दी है। नए व्यवसाय में परिवर्तन और बदलाव के पश्चात भी, यह कंपनी ब्रेकइवन लेवल प्राप्त नहीं कर पाई थी। कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है। इसके पश्चात अंतरितक कंपनी ने अपने व्यवसायिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं।

और जबकि, तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 26.11.2010 के आदेश जी.ओ.(एमएस) 120 द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अधीन जनहित में सेस्कॉट और तांसी के समामेलन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

और जबकि, दिनांक 20 दिसंबर, 2010 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अंतरितक कंपनी के निदेशक बोर्ड ने समामेलन स्कीम को अनुमोदित कर दिया है और इसके शेयरधारकों ने 11 मई, 2011 को आयोजित वार्षिक आम अधिवेशन में इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। इसी प्रकार दिनांक 20 दिसंबर, 2010 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अंतरिती

कंपनी के निदेशक बोर्ड ने समामेलन स्कीम को अनुमोदित कर दिया है और इसके शेयरधारकों ने 11 मई, 2011 को आयोजित वार्षिक आम अधिवेशन में इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है।

और जबकि, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2017 को उक्त कंपनियों के समामेलन के संबंध में मसौदा आदेश पारित किया गया था जिसमें इन कंपनियों को शेयर धारकों/लेनदारों/अन्यों से इस स्कीम से संबंधित आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए इस समामेलन के संबंध में जानकारी देते हुए दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था। दिनांक 19 दिसंबर, 2017 को इन कंपनियों द्वारा दो समाचार पत्रों अर्थात् अंग्रेजी में "न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और तमिल में "डेली थांथी" में मसौदा आदेश सहित समामेलन स्कीम का प्रकाशन किया गया था।

और जबकि, किसी शेयरधारक/लेनदार/अन्य से इस विज्ञापन के उत्तर में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

और जबकि, इस संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई जहां अंतरितक और अंतरिती कंपनी रजिस्ट्रीकृत हैं, की टिप्पणी भी प्राप्त कर ली गई थी। कंपनी रजिस्ट्रार से इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी और उसने दिनांक 14.03.2018 की रिपोर्ट में इस मामले को योग्यता के अनुसार विचार करने की सिफारिश की है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, कंपनी (विविध) नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दो कंपनियों का समामेलन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है।

1. संक्षिप्त नाम : इस आदेश को स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज़ कंपनी ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सेस्कॉट) और तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड (तांसी) समामेलन आदेश, 2018 कहा जाएगा।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 और तत्समय लागू उसके किसी संशोधन या पुनः अधिनियमन से है;

(ख) "नियुक्त तिथि" का अर्थ 1 अप्रैल, 2018 है। यह विलयन दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ माना जाएगा और इस तारीख से अंतरितक कंपनी कर्मचारी हित सहित सभी कानूनी और लेखांकन उद्देश्यों के लिए अंतरिती कंपनी का भाग होगी।

(ग) "स्कीम" का अर्थ अधिनियम की धारा 396 के अनुसरण में स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज़ कंपनी ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सेस्कॉट) और तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड (तांसी) समामेलन स्कीम है।

(घ) "अंतरिती कंपनी" का अर्थ तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड (तांसी) से है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निगमित तमिलनाडु सरकार की कंपनी है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ए-28, थिरु-वी-का इंडस्ट्रीअल स्टेट, गुइंडी, चेन्नई-600032 है।

(ङ) "अंतरितक कंपनी" का अर्थ स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज़ कंपनी ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सेस्कॉट) है जो इस अधिनियम के अधीन निगमित तमिलनाडु सरकार की एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय थिरु-वी-का इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई-600032 है।

3. शेयरधारिता की पद्धति :

दिनांक 31 मार्च, 2017 तक दोनों कंपनियों की शेयर धारिता की पद्धति निम्नलिखित है :

क) 31 मार्च, 2017 तक अंतरितक कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नलिखित है :

प्राधिकृत :	**राशि रुपये में**
1000/- रु. प्रत्येक के 9,000 साम्य शेयर	**90,00,000**
जारी, पूर्वक्रीत और समादत्त	
1000/- रु. प्रत्येक के 4971 साम्या शेयर	49,71,000

ख) 31 मार्च, 2017 तक अंतरिती कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नलिखित है :

प्राधिकृत :	**राशि रुपये में**
1000/- रु. प्रत्येक के 2,00,000 साम्य शेयर	20,00,00,000

जारी, पूर्वक्रीत और समादत्त

1000/- रु. प्रत्येक के 2,00,000 साम्या शेयर	20,00,00,000

4. कंपनियों का समामेलन :

4.1 निर्धारित तारीख को और उसके बाद से, अंतरितक कंपनी समापन के बिना विघटित हो जाएगी और निर्धारित तारीख तक अंतरितक कंपनी का हर व्यवसाय जिसमें संयंत्र, सभी आस्तियां और संपत्तियां शामिल है, और नियुक्त तारीख तक अंतरितक कंपनी के सभी ऋण, देयताएं, अग्रिम, कर्तव्य और बाध्यताएं अंतरिती कंपनी में किसी अन्य पक्ष की कार्रवाई और तीसरे पक्ष की सहमति के बिना अंतरित और निहित हो जाएगी और/या विद्यमान कंपनी के रूप में अंतरित की गई और निहित मानी जाएगी।

4.2 उपर्युक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उपर्युक्त अंतरण में अंतरितक कंपनी की सभी आरक्षितियां, जारी पूंजीगत कार्य, कर पात्रताएं और देयताएं, लीज़ पर ली गई या अन्य भूखंड सहित चल और अचल संपत्तियां, किसी भी प्रकार (मूर्त या अमूर्त) की अन्य सभी आस्तियां, निवेश, ऋण और अग्रिम उन पर ब्याज सहित, सभी व्यवस्थाओं की अग्रिम राशियां और/या प्रतिभूति जमा, प्रावधान, निधियां, लाभ, अनुदान कर जमा और अंतरितक कंपनी को प्राप्त होने वाला अन्य सभी ब्याज, संपूर्ण कारोबार और लाभ और किसी भी प्रकार के फायदे जो अंतरितक कंपनी के स्वामित्व, अधिकार या कब्ज़े में हो और उसके नियंत्रण में या निहित हों या उसके पक्ष में दिया हुआ या उठाए जाने वाले लाभ को कंपनी अधिनियम की धारा 396 के प्रावधानों के अनुसरण में अंतरिती कंपनी में विद्यमान कंपनी के रूप में निहित और/या माने जाएंगे और अंतरित करने और निर्धारित तारीख से अंतरिती कंपनी की आस्तियां, अधिकार, स्वामित्व और हित बन जाएंगे।

4.3 पैरा 4.1 और पैरा 4.2 में उल्लिखित संपत्तियों के निहित करने की रीति निम्नानुसार है :

(क) ऐसी संपत्तियों, जो चल प्रकृति की है या हस्तांतरित या मंजूरी और सपुर्दगी द्वारा अंतरित की जा सकती है; उन्हें अंतरितक कंपनी द्वारा अंतरिती कंपनी को अंतरित किया जाएगा और वह संपत्ति बिना किसी हस्तांतरण विलेख या लिखत के अंतरिती कंपनी की संपत्ति हो जाएगा।

(ख) ऊपर पैरा 4.3(क) में उल्लिखित को छोड़कर उक्त संपत्तियों के संबंध में, वे बिना किसी लिखत या विलेख के अंतरिती कंपनी को अंतरित और निहित हो जाएंगी और निर्धारित तारीख को अंतरिती कंपनी में अंतरित और निहित मानी जाएंगी।

(ग) ऊपर पैरा 4.3(क) में उल्लिखित को छोड़कर अन्य चल संपत्तियों, जिसमें विविध देनदार, बकाया, ऋण, नकद वसूल किए जाने वाले या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के अग्रिम, बैंक में बकाया राशि और सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों, निकायों आदि में जमा शामिल हैं, के संबंध में, अंतरितक कंपनी प्राप्त अंतरित किसी हस्तांतरण विलेख या लिखत के की जाएंगी और वह अंतरिती कंपनी की संपत्ति हो जाएगी और इसके अतिरिक्त कि ऐसे किसी तृतीय पक्ष या अन्य व्यक्ति का अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं होगा जो किसी ऐसी संविदा या समझौते का पक्ष नहीं है जिससे ऐसे ऋण या अग्रिम इस पैरा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अंतरिती कंपनी, यदि अपेक्षित है तो, स्कीम के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति या ऋणी को ऐसे उचित और सही समझे जाने वाली रीति में नोटिस दे सकती है, और उक्त व्यक्ति या ऋणी बकाया, ऋण या अग्रिम का भुगतान करेगा, या इसकी प्रतिपूर्ति करेगा या अपने खाते में इसे धारण करेगा तथा अंतरिती कंपनी का वसूल करने और प्राप्त करने का अधिकार अंतरितक कंपनी के अधिकारों को प्रतिस्थापित करते हुए रहेगा।

4.4 निर्धारित तारीख को और उसके बाद :

(क) स्कीम की शर्तों के अनुसरण में समाप्त की जा रही देनदारियों को छोड़कर अंतरितक कंपनी के सभी ऋण, देनदारियां, दायित्व और बाध्यताएं (जिसे इसके बाद "उक्त देयताएं" कहा गया है) भी अंतरिती कंपनी को आगे कोई कार्रवाई, लिखत या विलेख के बिना निर्धारित तारीख से अंतरिती कंपनी को अंतरित होंगी या अंतरित मानी जाएंगी और इसके अतिरिक्त, ऐसे किसी तृतीय पक्ष या अन्य व्यक्ति से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो किसी ऐसी संविदा या समझौते का पक्ष है जिससे ऐसे ऋण, देनदारियां, दायित्व और बाध्यताएं इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उत्पन्न होंगे। परंतु इस खंड की कोई भी बात निर्धारित तारीख से पहले अंतरितक कंपनी द्वारा लिया गया कोई ऋण, जमा या अन्य उधारी की प्रतिभूति, जो अंतरिती कंपनी को अंतरित या निहित होगी, को नहीं बढ़ाएगी या बढ़ाने के आशय से नहीं होगी, जिसे निर्धारित तारीख के बाद किसी अन्य प्रतिभूति के बिना बढ़ाना अपेक्षित या बाध्यता नहीं होगा;

(ख) नियत तारीख को व्यापार के शुरू होने पर लेखा बही में दर्ज अंतरितक कंपनी के सभी ऋण, देयताएं, दायित्व और बाध्यताएं अन्य दायित्व जो नियत तारीख पर या बाद में प्रोद्भूत या उत्पन्न हो सकती है, अंतरिती कंपनी के ऋण, देयताएं, दायित्व और बाध्यताएं होंगी;

(ग) नियत तारीख को व्यापार शुरू होने पर अंतरितक कंपनी की लेखा बही में दर्ज सभी आस्तियां और वसूलियां, चाहे आकस्मिक हों या अन्यथा, और ऐसी अन्य सभी आस्तियां और वसूलियां जो नियत तारीख को या उसके बाद प्रोद्भूत या उत्पन्न हो सकती हैं; यथास्थिति अंतरिती कंपनी की आस्तियां और वसूलियां या अन्यथा होंगी।

5. संविदा, विलेख और अन्य लिखतों में छूट :

स्कीम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन जारी या प्रभावी तारीख से तत्काल पहले प्रभावी सभी संविदाएं, विलेख, करार और अन्य लिखतों जो किसी भी प्रकृति की हों जिसकी अंतरितक कंपनी एक पक्ष है, अंतरिती कंपनी के विरुद्ध या पक्ष में जैसा भी मामला हो, पूर्णतया और प्रभावी रहेगी और उसका पूर्णतया और प्रभावी रूप से प्रवर्तन कराया जा सकता है जैसे अंतरितक कंपनी की बजाए अंतरिती कंपनी उसकी पक्ष रही हो।

6. कानूनी कार्रवाई में छूट :

यदि कोई दावा, रिट याचिका, अपील, पुनर्विलोकन या अन्य कार्रवाइयां चाहे किसी भी प्रकृति की हों (जिसे इसे इसके बाद "कार्रवाइयां" कहा जाएगा) अंतरितक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित हैं अंतरितक कंपनी के आमेलन के कारण समाप्त, बंद या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभावित नहीं होगी परंतु अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रक्रियाएं अभियोजन और प्रवर्तन उसी तरीके से और उस सीमा तक जैसाकि अंतरितक कंपनी के द्वारा या विरुद्ध जारी अभियोजित और प्रवर्तन कराया जाता, जैसे जारी रहेंगे कि यह योजना प्रभावी न हो। प्रभावी तारीख को या उसके बाद से अंतरिती कंपनी अंतरितक कंपनी के लिए या उसकी ओर से कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करेगी और कर सकती है।

7. कराधान के संबंध में प्रावधान :

निर्धारित तिथि से पहले अंतरितक कंपनी द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय के लाभ और हानि के संबंध में कराधान ऐसी छूटों और राहत जैसा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत है वह आमेलन के परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा। उपरोक्त की समान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अंतरिती कंपनी को स्पष्ट रूप से अपनी आयकर और हानि विवरणी और संबंधित टीडीएस प्रमाणपत्र को संशोधित करने की अनुमति है और वे धन वापसी, अग्रिम कर क्रेडिट इत्यादि का दावा कर सकते हैं दोनों कंपनियों के संयुक्त लेखों के आधार पर जैसा कि समेकित तुलन-पत्र में नियत तिथि को दर्शाया गया है इस योजना की शर्तों के अनुसरण में और निधियों के समायोजन, क्रेडिट सेट ऑफ अग्रिम कर क्रेडिट का दावा करने का अधिकार इसकी स्वीकृति के पश्चात और योजना के प्रभावी बनने को स्पष्ट रूप से आरक्षित रखा गया है।

8. अंतरितक कंपनी के विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में प्रावधान :

अंतरितक कंपनी के कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। अंतरितक कंपनी की सेवा में कर्मचारी विलयन की प्रभावी तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान शर्तों और दशाओं पर अंतरिती कंपनी के कर्मचारी बन जाएंगे।

9. निदेशक की स्थिति :

अंतरितक कंपनी का प्रत्येक निदेशक (गैर-कर्मचारी) जो इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पदधारित करता है, वह अंतरितक कंपनी का इस आदेश की अधिसूचना की तारीख पर निदेशक नहीं रहेगा।

10. भविष्य निधि की सदस्यता :

जहां तक भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि, अधिवर्षिता निधि या कोई अन्य विशेष निधि जो स्टाफ या अन्य कर्मचारियों के लिए सृजित या विद्यमान है या लाभ के लिए है, का संबंध है, सभी उद्देश्यों जो कोई भी प्रशासन या प्रचालन के लिए ऐसी निधियों से संबंधित है या उल्लिखित निधियों में अंशदान ऐसी निधियों के प्रावधान जो संबंधित न्यास विलेखों में दिए गए हैं के अनुसार अंशदान करने के दायित्व से संबंधित हैं, अंतरिती कंपनी, अंतरितक कंपनी की जगह प्रतिस्थापित होगी। सभी अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अंतरितक कंपनी की ऐसी निधियों के लिए अंतरिती कंपनी के बन जाएंगे और अंतरितक कंपनी में नियोजित कर्मचारियों के सभी अधिकार, बकाया और लाभ ऐसी निधियों और न्यासों में सुरक्षित रहेंगे।

11. अंतरितक कंपनी का विघटन :

इस आदेश के जारी होने और इसकी अधिसूचना पर अंतरितक कंपनी का विघटन बिना समाप्ति के नियत तिथि पर होगा और कोई व्यक्ति अंतरितक कंपनी के विरुद्ध सिवाय जहां तक इस आदेश के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु आवश्यक हो कोई दावा बनाना या जोर देना, मांग या कार्रवाई नहीं करेगा।

12. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण :

अंतरितक और अंतरिती कंपनियां, यथाशीघ्र इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद इस आदेश की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार चेन्नई को भेजेंगे, जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार अंतरिती कंपनी द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर आदेश को पंजीकृत करेंगे और इस आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करेंगे। इसके बाद कंपनी

रजिस्ट्रार चेन्नई सभी दस्तावेज जो पंजीकृत या रिकार्ड या फाइलिंग जो अंतरितक कंपनी से संबंधित है, को तमिलनाडु लघु उद्योग कारपोरेशन लिमिटेड (तांसी) की फाइल पर रखेंगे जिसके साथ विघटित कंपनी का आमेलन किया गया है और उनका समेकन करेगा और ऐसे समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल पर रखेगा।

13. अंतरिती कंपनी का ज्ञापन और संगम अनुच्छेद :

अंतरितक कंपनी अर्थात् स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज़ कंपनी ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सेस्कॉट) के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद जो नियत दिवस से पूर्व क्योंकि वे विद्यमान थे, वह अंतरिती कंपनी अर्थात् तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड (तांसी) के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद होंगे।

[फा.सं. 24/3/2013-सीएल.III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COPRPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 1st August, 2018

S.O. 3839(E).— Whereas, the Central Government on the basis of applications filed to it is satisfied that it is essential in the public interest that M/s State Engineering and Servicing Company of Tamil Nadu Ltd, (SESCOT) a Government of Tamilnadu Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Thiru-Vi-Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-32 (hereinafter referred as the "transferor company') should be amalgamated with M/s Tamil Nadu Small Industries Corporation Ltd, (TANSI) a Government of Tamilnadu company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at A-28, Thiru-Vi-Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032 (hereinafter referred to as the "transferee company") into a single company as both the companies are under the same management and has the similar objectives and mandates, the amalgamation shall result in savings of time and cost in managing the affairs of the company.

AND WHEREAS the transferor company earlier known as Tamil Nadu Mopes Limited has changed its name to State Engineering and Servicing Company of Tamilnadu Ltd. (SESCOT) and started manufacturing of light engineering structures, repair and allied works of engineering structures. Even after the change and shifting to new business, the company was not able to achieve breakeven level. The workmen and employees are permitted to retire from service under Voluntary Retirement Scheme. Subsequently, the transferor company stopped its business activities.

AND WHEREAS, the Government of Tamilnadu vide order G.O. (MS) 120 dated 26.11.2010 has approved the proposal of amalgamation of SESCOT with TANSI in public interest under Section 396 of the Companies Act, 1956.

AND WHEREAS, the Board of Directors of the transferor company has approved the scheme of amalgamation in the Board meeting held on 20th December, 2010 and its shareholders have approved the scheme in their annual General Meeting held on 11th May, 2011. Similarly, the Board of Directors of the transferee company has approved the scheme of amalgamation in the Board Meeting held on 20th December, 2010 and its shareholders have approved the scheme of amalgamation in their Annual General Meeting held on 11th May, 2011.

AND WHEREAS, a draft order in respect of amalgamation of the said companies was passed on 09.10.2017 by the Central Government directing the companies to publish in two newspapers regarding the amalgamation inviting objections/suggestions from shareholders/creditors/others with regard to the scheme. The scheme of amalgamation along with the draft order was published by the companies in two newspapers in "New Indian Express" in English and in "Daily Thanthi" in Tamil on 19th December, 2017.

AND WHEREAS, no objections were received in response to the advertisements from any shareholder/creditors/others.

AND WHEREAS, the comments of the Registrar of Companies, Chennai where the transferor and transferee company are registered was obtained. No objection was received from the Registrar of Companies and he has in the report dated 14.03.2018 has recommended to consider the case on merits.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with Rule 11 of Companies (Miscellaneous) Rules, 2014, the Central Government hereby makes the following order to provide for the amalgamation of said two companies.

1. **Short Title:**- This order may be called the State Engineering and Servicing Company of Tamil Nadu Limited (SESCOT) and the Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited (TANSI) Amalgamation Order, 2018.
2. **Definitions:**- In this order, unless the context otherwise requires,-
   a) "Act" means the Companies Act, 1956 and any amendments or re-enactment thereof for the time being in force;
   b) "Appointed date" means April 1, 2018. The merger would be deemed to have taken place with effect from 1st April, 2018 and from that day onwards transferor company would become a part of transferee company, for all legal and accounting purposes including those of employees benefits;
   c) "Scheme" means the scheme of amalgamation of State Engineering and Servicing Company of Tamil Nadu Limited (SESCOT) with Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited (TANSI) pursuant to section 396 of the Act;
   d) "Transferee Company" means Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited, (TANSI) a Government of Tamilnadu company incorporated under the provisions of the Act and having its registered office at A-28, *Thiru-Vi-Ka* Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032.
   e) "Transferor Company" means State Engineering and Servicing Company of Tamil Nadu Limited, (SESCOT) a Government of Tamilnadu company incorporated under the provisions of the Act and having its registered office at *Thiru-Vi-Ka* Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032.

3. SHARE HOLDING PATTERN

The share holding pattern of the two companies as on 31st March, 2017 is as under:

a) The capital structure of the transferor company as on March 31, 2017 is as under:

Authorised:	**Amount in Rs.**
9,000 Equity shares of Rs.1000/- each	90, 00,000

Issued, subscribed and paid-up:

4971 Equity shares of Rs.1000/- each 49, 71,000

b) The capital structure of the transferee company as on March 31, 2017 is as under:

Authorised:	**Amount in Rs.**
2, 00,000 Equity shares of Rs.1000/- each	20, 00, 00, 000
Issued, Subscribed and Paid-up:	
2, 00,000 Equity shares of Rs.1000/- each	20, 00, 00,000

4. **AMALGAMATION OF COMPAIES**:

4.1 On and from the appointed date, the transferor company shall dissolve without winding up and whole undertaking including the plants, all assets and properties of the transferor company as on the appointed date, and all the debts, liabilities, advances, duties and obligations of the transferor company as on appointed date, shall stand transferred to and vested in and/or deemed to be transferred to and vested as a going concern, in the transferee company without any further acts of any parties and without the consent of third parties.

4.2 Without prejudice to the generality of the aforesaid, the transfer as aforesaid shall include all the reserves, capital works in progress, tax entitlements and liabilities, movable and immovable assets and properties including land whether leased or otherwise, all other assets (whether tangible or intangible) of whatsoever nature, investments and loans and advances including interest thereon, earnest monies and/or security deposits, provisions, funds, benefit of all agreements, arrangements, grants tax credits and all other interests arising to the transferor company, the entire business and benefits and advantages of whatsoever nature and where so ever situated belonging to or in the ownership, power or possession and in the control of or vested in or granted in favour of or enjoyed by the transferor company stand transferred to and vested in and/or be deemed to be and stand transferred to and vested as a going concern, in the transferee company pursuance to the provisions of section 396 of the Companies Act so as to become as and from the appointed date the assets, rights, title and interest of the transferee company.

4.3 the mode of vesting of the properties referred in para 4.1 and 4.2 shall be as under:

a) in respect of the properties which are movable in nature or are otherwise capable of transfer by manual delivery or by endorsement and delivery, the same may be so transferred by the transferor company and shall become the property of the transferee company without requiring any deed or instrument of conveyance for the same.

b) In respect of the said properties other than those referred to in para 4.3 (a) above, the same shall, without any instrument or deed, stand transferred to and vested in and deemed to be transferred and vested in the transferee company as on the appointed date.

c) In respect of the movable properties other than those specified in para 4.3(a) above, including sundry debtors, outstanding, loans, advances recoverable in cash or in kind or

for value to be received, bank balances and deposits with Government, Semi Government, Local and other authorities, bodies etc. the same shall be so transferred by the transferor company and shall become the property of the transferee company without requiring any deed or instrument of conveyance for the same and the same shall become the property of the transferee company and further that it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or another person, who is a party to any contract or arrangement by virtue of which such debts loan or advances have arises in order to give effect to the provisions of this para. The transferee company may, if required, give notice in such form as it may deemed fit and proper to such person or debtor pursuance to the scheme, the said person or debtor should pay the debt, loan or advance, or make good the same or hold the same to its account and that the right of the transferee company to recover and realise the same is in substitution of the rights of transferor company.

4.4 On and from the appointed date:

a) All debts, liabilities, duties and obligations of the transferor company other than liabilities being extinguished pursuance to the terms of the scheme (hereinafter referred to as the "said liabilities") shall also be stand transferred or be deemed to be and stand transferred to the transferee company without any further act, instrument or deed of the transferee company, so as to become as and from the appointed date, the debts, liabilities, duties and obligations of the transferee company and further it shall be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any contract or arrangement by virtue of which such debts, liabilities, duties and obligations have arisen in order to give effect to the provisions of this clause. Provided always that nothing in this clause shall or is intended to enlarge the security for any loan, deposit or others indebtedness created by the transferor company prior to the appointed date which shall be transferred to and be vested in the transferee company shall not be required or obliged in any manner to create any further or additional security therefore after the appointed date or otherwise;

b) All debts, liabilities, duties and obligations of the transferor company as on the start of the business on the appointed date provided in the books of accounts and all other liabilities which may accrue or arise on or after the appointed date shall be the debts, liabilities, duties and obligations of the transferee company;

c) All assets and receivable whether contingent or otherwise of the transferor company as on start of business on the appointed date provided for in the books of accounts and all other assets or receivables which may accrued or arise on or after the appointed date shall be, the assets and receivables or otherwise as the case may be of transferee company.

5. **SAVINGS OF CONTRACTS, DEEDS AND OTHER INSTRUMENTS**;

Subject to other provisions contained in the scheme all contracts, deeds, agreements and other instruments of wherever nature, to which the transferor company is a party, subsisting or having effect immediately before the effective date, shall remain in full force

and effect, against or in favour of the transferee company as the case may be, and may be enforced as fully and as effectually as if, instead of the transferor company, the transferee company had been a party thereto.

6. **SAVINGS OF LEGAL PROCEEDINGS**

If any suit, writ petition, appeal revision or other proceedings of whatsoever nature (hereinafter called "the proceedings") by or against the transferor company be pending, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of amalgamation of the transferor company or of anything contained in the scheme, but the proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee company in the same manner and to the same extent as it would be or might have been continued, prosecuted or enforced by or against the transferor company as if the scheme had not been made. On and from the effective, date, the transferee company shall and may initiate any legal proceedings for and on behalf of the transferor company.

7. **PROVISION WITH RESPECT TO TAXATION**:

Taxes in respect of the profits and gains of the business carried on by the transferor company before the appointed date shall be payable by the transferee company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income Tax Act, 1961 as a consequent of amalgamation. Without prejudice to the generality of the aforesaid, the transferee company is expressly permitted to revise its income tax and loss returns and related TDS certificates and to claim refunds, advance tax credits etc. on the basis of the combined accounts of both the companies as reflected in the consolidated balance sheet as on the appointed date pursuant to the terms of this scheme and the right to claim funds adjustments, credits set offs, advance tax credits pursuance to the sanction of this and the scheme becoming effective is expressly reserved.

8. **PROVISIONS REGARDING EXISTING OFFICERS AND OTHER EMPLOYEE OF THE TRANSFEROR COMFPANY**.

The workmen of the transferor company have taken Voluntary Retirement scheme. The employees in the service of the transferor company as on the date immediately preceding the effective date of merger shall become the employees of the transferee company on the existing terms and conditions.

9. **POSITION OF DIRECTOR**:

Every director of the transferor company (non-employee) holding office as such immediately before the date of notification of this order shall cease to be a director of the transferor company on the date of notification of this order.

10. **MEMBERSHIP OF PROVIDENT FUND**:

As far as provident fund, gratuity fund, superannuation fund or any other special fund created or existing or the benefit of the staff, workmen and other employees of the transferor company are concerned, the transferee company shall stand substituted for the transferor company for all purpose whatsoever related to the administration or operation for such fund or in relation to the obligation to

make contributions to the said funds in accordance with the provisions of such funds as per the terms provided in the respective trust deeds. All the rights, duties powers and obligations of the transferor company in relation to such funds shall become those of the transferee company and all the rights dues and benefits of the employees employed in the transferor company under such funds and trusts stand protected.

11. DISSOLUTION OF THE TRANSFEROR COMPANY

On issue of this order and its notification the transferor company shall stand dissolved without being wound up as on the appointed date and no person shall make, assert or take any claims, demands, or proceedings against the transferor company, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this order.

12. REGISTRATION OF THE ORDER BY THE REGISTRAR OF COMPANIES;

The transferor and transferee companies, shall as soon as may be, after this order is notified in the official gazette, send to Registrar of Companies, Chennai a copy of this order, on receipt of which the Registrar of Companies shall register the order on payment of the prescribed fees by the transferee company and certify under his hand the registration thereof within Thirty days from the date of receipt of a copy of this order. Thereafter, the Registrar of Companies, Chennai shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the transferor company on the file of the Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited (TANSI) with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

13. MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE TRANSFEREE COMPANY.

The Memorandum and Articles of Association of the transferor company i.e. State Engineering and Servicing Company of Tamil Nadu Limited (SESCOT) as they stood immediately before the appointed day shall be the Memorandum and Articles of Association of the transferee company, viz. Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited (TANSI).

[F.No.24/3/2013-CL-III]
GYANESHWAR KUMAR SINGH ,Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.09 11:59:26 +05'30'